न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12 / 92 / 2020

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री हितेश मेहन्दीरत्ता, 1 क 14—15 काला कुआं हाऊसिंग बोर्ड, अलवर।	लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::— दिनांकः— 18.11.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.07.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.11.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उप0।
5. पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को कार्यालय के पत्रांक 838 दिनांक 13.10.20 से जबाव / वांछित सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित हुवा, जबाव में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को पत्रांक 3433 दिनांक 25.09.20 को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.20 के संदर्भ में कोई सूचना दिया जाना शेष नही है, की प्रति पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज **दिनांक** 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)